प्रकरण संख्या 3/2022 मोती बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य

<table>
<tr><th>तारीख
हुक्म</th><th>हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>30.10.2023</td><td>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् शाश्वत निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य सहखातेदारों के संयुक्त खातेदारी की आराजियात राजस्व ग्राम उमठी में स्थित हैं, जिसका विवरण वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार है। मौके पर विवादित आराजियात का विभाजन नहीं होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त भूमियों मे से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दिया है, जिसकी आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विशिष्ठ भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ ने दिनांक 27.01.2020 को वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2020 को अपीलान्ट/वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को नहीं हो थी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया [illegible] वादी/अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वादी के अधिवक्ता ने वादी को आश्वस्त कर रखा था कि [illegible]पको हर पेशी पर अ[illegible]</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:05 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता नहीं है इसलिए वह अपने अधिवक्ता के भरोसे रहा। अपीलान्ट का कोई दोष नहीं है। इसके अलावा प्रकरण प्रतिवादी के तलबी में नियत था एवं तलबी के पश्चात ही प्रभावी कार्यवाही की जानी थी इसलिए दिनांक 27.01.2020 को वादी का उपस्थित होना आवश्यक भी नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी अपीलान्ट/वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलान्ट/वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.12.2019 अनुसार प्रकरण प्रतिवादीगणों की तलबी हेतु दिनांक 27.01.2020 के लिए नियत था। दिनांक 27.01.2020 को वादी अथवा उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जबकि प्रकरण बहस के स्टेज पर नहीं होकर प्रतिवादीगण की तलबी में नियत था, ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगणों की तलबी हुए अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.01.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:05 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सिंह सांगावत)
[illegible] अधिकारी
एवं पदे[illegible]स्व अपील अधिकारी
उदयपुर